भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4917

23.03.2026 को उत्तर के लिए

असम में जलवायु संवेदनशीलता

4917. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम में, विशेषकर ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के किनारे, बाढ़, कटाव और जलवायु संवेदनशीलता का जिलावार या नदी बेसिनवार कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अत्यधिक संवेदनशील जिलों को चिह्नित किए जाने सहित ऐसे आकलनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या असम के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधि स्वीकृत की गई है, जारी की गई है या विलंबित की गई है; और

(घ) राज्य में कटाव नियंत्रण, बाड़ शमन और जलवायु-अनुकूलन अवसंरचना के विकास में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) बाढ़ की घटना की जिम्मेवारी विभिन्न कारकों पर ठहरायी जा सकती है, जिसमें सामान्य पैटर्न से बार-बार विचलन सहित समय और स्थान दोनों में वर्षा में व्यापक भिन्नता, नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता, नदी तट का कटाव और नदी तल में गाद जमना, भूस्खलन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में खराब प्राकृतिक जल निकासी, बर्फ पिघलना और हिमनद झील का प्रकोप शामिल है।

विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी सहित प्रमुख नदियों के लिए रूप-आकार अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन नदियों की प्रकृति को व्यापक रूप से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आधार वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में दस वर्षों में तटरेखा में बदलाव, कटाव और गाद जमने का आकलन उपलब्ध कराते हैं, नदी के अलग-अलग भागों का रूप समझने और उसके खास हिस्सों की पहचान कराते हैं। इन अध्ययनों को संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों आदि के साथ सूचित निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाने के लिए साझा किया गया है।

आईआईटी गुवाहाटी के माध्यम से केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए ब्रह्मपुत्र नदी के रूप आकार अध्ययन के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी में वर्ष 2003-05 और 2008-11 के बीच कुल 252.6 वर्ग किमी का कटाव और 118.6 वर्ग किमी का गाद जमाव हुआ है।

वर्ष 1986 से 2022 तक के उपग्रह इमेजरी डेटा से भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र के आकलन पर सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार, असम में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2.477 एमएचए है जो 35 में से 33 जिलों को कवर करता है।

इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने असम जलवायु परिवर्तन प्रबंधन सोसायटी (एसीसीएमएस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, असम सरकार के माध्यम से भारतीय राज्यों की संवेदनशीलता का मानचित्रण करने के लिए एक अध्ययन का भी समर्थन किया है और "भारत की संवेदनशीलता प्रोफाइल: एक साझा रूपरेखा ढांचे का उपयोग करके राज्य और जिला स्तर" रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह आकलन ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटी दोनों को कवर करता है। संवेदनशीलता रिपोर्ट में असम को भारत में 5वां सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील राज्य बताया गया है।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाओं का नियोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के माध्यम इन प्रयासों को पूरा करती है।

भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसका उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान से उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाना है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत असम को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है और बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी उपायों और जल निकासी सुधार जैसे कार्यों के लिए इसे बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के रूप में जारी रखा गया है।

राज्य सरकार बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन भी करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके निपटान में रखे गए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है।

इसके अलावा, बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी सेवाओं जैसे गैर-संरचनात्मक उपाय सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बाढ़ के उपशमन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ के मैदानों

और इसके क्षेत्र निर्धारण का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में राज्यों को सक्षम बनाने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त 2025 में बाढ़ के मैदान क्षेत्र निर्धारण पर दिशानिर्देश तैयार किया है और राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों को प्रसारित किया है।

इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसी) के तहत, "जैविक खेती और तालाब आधारित मत्स्य पालन के माध्यम से कमजोर समुदायों के लिए जलवायु प्रतिरोधी आजीविका बनाकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन" पर एक परियोजना असम राज्य में 24.56 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कार्यान्वित की जा रही है।
